

फ.स.आई-1-34014/173/2017-आरटीआई

भारत सरकार  
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

8-8-17

दिनांक- 27.07.2017

२४

सेवा में

श्री असगर सैफुदीन  
सेफी हार्डवेअर स्टोर्स  
एम. जी. लोणावला पुणे  
महाराष्ट्र - 410401

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री असगर सैफुदीन से प्राप्त आवेदन।

महोदय,

मुझे आपका पत्र दिनांक 06.07.2017 जो की इस मंत्रालय मे दिनांक 18.07.2017 को प्राप्त हुआ का अवलोकन करने का निर्देश हुआ है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कतिपय सूचना मांगे जाने के संबध में है।

2. इस संबध में यह देखा गया है कि आपके द्वारा निर्धारित प्राधिकारी के पक्ष में अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान नही किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि 'भुगतान एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय)' सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, को देय 10 रु0 का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ भारतीय पोस्टल आर्डर, इस मंत्रालय को तुरंत भेजा जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पर कारवाई 'आवेदन शुल्क' जमा कराने का बाद ही की जा सकती है। 10 रु0 का कोर्ट फी इसके साथ मूल पत्र वापस किया जा रहा है।

O/o Minister (RTH)  
Diary No. 12422/17  
Date: 24/8/17

So (RTI)

Scanned by  
user named to, Shankar

16/8

80/RTI/17

14/8/17

भवदीय

घनश्याम मीना  
28/7/17  
घनश्याम मीना


अनुभाग अधिकारी(आर.टी.आई)

माहिती अधिकाराचा कायदा, २००५, अन्वये माहिती प्राप्त करण्यासाठी

1238635 अर्जाचा नमुना

मति,

18/11/17



राज्य जन - माहिती अधिकारी (The State Public Information Office)

*En Sak*

भारत सरकार

कार्यालयाचे नाव व पत्ता: राखला, व-पविषदन मं. नितीन.

१. अर्जदाराचे संपूर्ण नाव गडकरी, वेत्री-कापालप नाथन

२. पत्र व्यवहारासाठी पूर्ण पत्ता असगर सेफ्टीव्हा. को. ए. पी. जी. मॅट्रिक्स रोड स्टोरी, ओ. पी. जी.

लोनायला, डी. यु. ए. ५१०५०१.

फोन: 9130527410

३. आवश्यक असलेल्या माहितीचा तपशील

अ) माहितीचा विषय इन्सुरन्स और पियुसी धन टाईम. टोने-के-लीमे अर्जा कि थी, विनंती.

ब) माहितीचा कालावधी 19-12-2016 + 5-10-2015 +

क) माहितीचे वर्णन नितीन गडकरी, सा

मैने आपको पियुसी, ए. पी. एम. और इन्सुरन्स (1) टाईम करे को विनंती कि थी, मंजूर किया है, थान हि किया है. जवाब मीला नहि है, मे-वाट फल्युव है हु.

*ESO (RTI) 8/5/17/17*

*U.S. Arora*

*2/17*

*Money for rent ok  
Business to 12/11/17*

*2/17  
6/10/17*

*Sh. M. Ghant  
2/11/17*

आपका पिरायसु.

- ड) माहिती टपालाने हवी कि व्यक्तीशः
- ए) टपालाने हवी असल्यास (साध्या/रजिस्टर/स्पीड पोस्टाने)
- ब) अर्जदार दारिद्र्य रेषेखालील आहे काय ?
- ग) (असल्यास त्यासंदर्भाच्या पुराव्याची खेरेक्स प्रत जोडणे)

लोनायला

6-7-2017

RTI section for



असगर सेफ्टीव्हा  
SAFE HARDWARE STORE  
M. G. ROAD  
LONAYLA (PUNE)  
410401

*JS (RTI)*

*Pro. (MVC)  
SO (MVC)  
2/17*

SO (RTI)

*2/17*

Handwritten text, possibly a signature or name, located on the left side of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located at the bottom right of the page.

सेवाने भावत. कर कार

रास्ता. प. राज. मार्ग. मंत्री.

नितिन. गडकरी. सा. परिषद.

मपन. कार्यालय. पि. सी. विनंती



19-12-2016

विषय.

उड पार्टी, ठर पार्टी इन्सुरन्स.

रुपमा. 2082 = पोलीसी नं. 271002/3V/15/

670000/605 मे मराथा. दि. 30-12-2015 को.

19-12-2016 को इन्सुरन्स मरने को गया तो. रुपमा. 2766 = 00 लीया है. क्यो.

रुपमा. 684 = 00 अकसा सा. लीया है.

उठने से गवर्नमेन्ट ने बड़ाया. है असा जवाब दिया.

रुपमा. नहि है इस लिये. उड पार्टी इन्सुरन्स मरते है. हर साल. रुपमा. बडता है. तो मतलब क्या है. कैरुण. जवाब दो. पान. 5/12-सीतम्बर 2016.



भारतीय डाक



RLAD LONAVLA (410401)  
A RM303731285IN  
Counter No:1, OP-Code:USER  
To:NITIN GADKARI, SAREAD MARG  
NEW DELHI, PIN:110001  
From:ABBAS SAIFUDDIN, LONAVLA  
Wt:48grams.  
Amt:35.00 .19/12/2016 .10:14

आपका विसयारु

असगर सेफुमन

SAIFI HARDWARE STORE:  
M. G. ROAD  
LONAVLA (PUNE)

Received 22/12/16

भारत सरकार  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयपरिवहन भवन, 1, संसद भवन  
नई दिल्ली - 110 001  
तारीख 20/10 अक्टूबर, 2016

सं० - आर.टी. 11016/04/2016-एमवीएल

सेवा में,

श्री असगर सैफुद्दीन,  
सैफी हार्डवेयर स्टोर्स,  
एम. जी. रोड़, लोणावला, पुणे,  
महाराष्ट्र - 410401

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रेषित पत्र पर कृत कारवाई के संबंध में ।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 29/09/2016 का संदर्भ ग्रहण करे जिसमें आपने अपने दिनांक 30 जून, 2015 के पत्र में दिये गये सुझावों को "सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक, 2015", में शामिल किये जाने के संबंध में जानकारी मांगी है ।

2. इस संबंध में आपको अवगत कतना है कि इस मंत्रालय द्वारा देश में परिवहन क्षेत्र में सर्वोत्तम प्राथमिकताओं की जांच करने, सुरक्षा और मतिशीलता में सुधार करने तथा कार्यान्वयन के लिए कार्यवाई/उपाय सुझाने हेतु राजस्थान राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग तथा सड़क और परिवहन मंत्री माननीय श्री सुखत खान की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह (सीओएम) का गठन किया है । मंत्रियों के समूह ने अपनी पहली बैठक दिनांक 29 अप्रैल, 2016 को नई दिल्ली में की जिसमें सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक, 2015 पर विस्तार से चर्चा की गई । मंत्रियों के समूह का एकमत था कि परिवहन व्यवस्था राज्य सरकारों का विषय है तथा सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक, 2015 के मसौदे को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व सभी राज्य सरकारों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता है तभी इसे अंतिम रूप प्रदान किया जा सकता है । चूंकि इस प्रक्रिया में समय लगता इसलिए मंत्रियों के समूह ने इस विधेयक को लंबित रखते हुए वर्तमान केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (CMVRs) एवं मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MV Act) के नियम एवं अधिनियमों में तत्काल परिवर्तन का सुझाव दिया जिसे स्वीकार करते हुए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2016 तैयार किया गया तथा 3 अगस्त, 2016 को मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी जिसके उपरांत इसे दिनांक 9 अगस्त, 2016 को संसद में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत, इस संशोधन विधेयक को जांच हेतु परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति को सौंप दिया गया है । मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2016, राज्य सभा की अधिकारिक वेबसाइट [www.rajasabha.nic.in](http://www.rajasabha.nic.in) पर उपलब्ध है ।

भवदीया,



(सरकट स.सु.सं.सं.)

अवर सचिव भारत सरकार एवं जन सूचना अधिकारी

दूरभाष संख्या : 011-2335 7126

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. निजी सचिव, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, परिवहन भवन, नई दिल्ली ।
2. संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली

वैभव डांगे  
VAIBHAV DANGE



निजी सचिव  
सड़क परिवहन, राजमार्ग  
एवं पोत परिवहन मंत्रालय  
भारत सरकार  
PRIVATE SECRETARY TO  
MINISTER OF ROAD TRANSPORT,  
HIGHWAYS AND SHIPPING,  
GOVERNMENT OF INDIA

DOI: 18.112/MIN/RT&H/VIP:2016

12 सितम्बर, 2016

प्रिय श्री असगर सेफदिन जी,

माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रेषित  
आपका दिनांक 29.08.2016 का पत्र प्राप्त हुआ, जो कि इन्सुरन्स और पियुनी  
के संबंध में है।

उपर्युक्त पत्र को अग्रिम कार्रवाई हेतु संयुक्त सचिव (परिवहन)  
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रेषित कर दिया है।

सादर,

आसगा,  
(वैभव डांगे)

श्री असगर सेफदिन  
सैफी हार्डवेयर स्टोर्स  
एम.जी. रोड,  
लोनावडा (पुणे)



भारत सरकार  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग

नई दिल्ली - 110 001

तारीख 07 जुलाई, 2015

सं० - आर.टी. 11016/04/2015-एमवीएल  
सेवा में,

श्री असगर सौफोददीन,

सैफी हार्डवेयर स्टोअर्स,

एम.जी. रोड, लोणावळा, पुणे-410 401।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दिनांक 30 जून, 2015 के अपने पत्र का अवलोकन करें।

2. तीसरे पक्ष के जोखिम के खिलाफ मोटर वाहनों के बीमा के बारे में प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एम वी एक्ट) के अध्याय XI में और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (CMVRs) के अध्याय VII में निहित किया गया है। एमवी एक्ट एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियम इस मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट [www.morth.nic.in](http://www.morth.nic.in) पर उपलब्ध है।

3. मंत्रालय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 को बदलकर "सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक, 2015" का मसौदा तैयार कर रहा है। संबंधित विषय उसमें शामिल किया गया है।

4. अपीलीय अधिकारी का विवरण:

श्री संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव (परिवहन) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय,  
परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 (दूरभाष सं० 011-2335 1061)  
भवदीया,

31/5/15 चौरस

(इरीनी चैरियन)

उप सचिव (आरटी) एवं जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि-

श्री वि. कृष्णास्वामी, निदेशक (आरटीआई) एवं मुख्य जन सूचना अधिकारी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, MORTH/R/2015/00612 दिनांक 30.06.2015 का संदर्भ लें।

01123710450



माहितीचा  
अधिकार

वेबसाईट :- www.mahatranscom.in

ई मेल :- dycm@mahatranscom.in

फोन :- 022 24614899 फॅक्स :- 022-26414901

क्र.मा.अ.अ./५३/जसअ-३४५/२०१५/का.२(४)/जा.क्र ९०३५

परिवहन आयुक्त यांचे कार्यालय,

प्रशासकीय इमारत, ३ रा व ४ था मजला,

डॉ. आंबेडकर उद्यानाजवळ, सरकारी वसाहत,

वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१.

दिनांक :-

22 APR 2015

प्रति,

श्री असगर सौफोदीन,

सैफी हार्डवेअर स्टोअर्स,

एम.जी. रोड, लोणावळा, जि.पुणे

विषय - माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये माहिती मिळविण्यासाठी केलेला अर्ज.

संदर्भ - १)आपला दि.निरंक रोजीचा अर्ज.

२)शासन पत्र क्र एमव्हीआर-०२१५/प्र.क्र.८१/परि-२ दिनांक २७.०२.२०१५.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या अंतर्गत आपला अर्ज या कार्यासनास दिनांक २७.०३.२०१५ रोजी प्राप्त झाला असून आपणास माहिती खालीलप्रमाणे पुरवण्यात येत आहे.

क्र.	मागितलेली माहिती	उपलब्ध माहिती
१	दरवर्षी इन्शुरन्स करायला लागते ते इन्शुरन्स अेकच टाइम व्हावे हे माजे मत आहे.	मोटर वाहन कायदा १९८८ व केंद्रीय मोटर वाहन नियम १९८९ च्या तरतूदीत बदल करण्याचे अधिकार केंद्र शासनस आहते.
२	त्यानंतर पि.यु.सी. हे दर सहा महिने ने अस्ते ते अेकच टाइम व्हावे हे माजे मत आहे..	यास्तव आपण पत्र व्यवहार केंद्र शासनस, रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली-११, येथे करावा.
३	कारण वेळेत काम जाले तर ठीक नाहीतर त्रासच त्रास म्हणून माझ्या लीहीले त्यावरून ऊपाय काय आहे का उत्तर घ्यावे.	

माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम १९(१) मधील तरतूदीनुसार निर्णय प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा परिवहन उप आयुक्त (अं.१), परिवहन आयुक्त कार्यालय, वांद्रे (पूर्व) मुंबई ४०० ०५१ यांचेकडे अपील करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

(अर्चना गायकवाड)

जन माहिती अधिकारी तथा,

सहाय्यक परिवहन आयुक्त,

परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई

प्रत --१)श्री मा.बा. ताशिलदार, कक्ष अधिकारी, परि-२,गृह विभाग, दुसरा माळा मंत्रालय, मुंबई-३२

२)सहाय्यक माहिती अधिकारी तथा जनसंपर्क अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई.



क्र. एमसीआर-०८१५/संकिर्ण-७७/ला.स.४४/जा.क्र. १२१३

परिवहन आयुक्त यांचे कार्यालय  
प्रशासकीय इमारत, ३/४ मजला,  
डॉ. आंबेडकर उद्यानाजवळ,  
वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१.

दिनांक :-

17 AUG 2015

प्रति,

श्री असगर सौफोद्दीन  
सैफी हार्डवेअर स्टोअर्स,  
एम.जी.रोड, लोणावळा, जि.पुणे

विषय :- रस्ते परिवहन व सुरक्षा विधेयक - २०१५ .

संदर्भ :- आपले दिनांक २२.०७.२०१५ रोजीचे पत्र.

उपरोक्त विषयास अनुसरून आपणसकळ कळविण्यात येते, रस्ते परिवहन व सुरक्षा विधेयक - २०१५ तयार करण्याची बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येत असल्याने संदर्भाय पत्राद्वारे आपण उपरोक्त विधेयकाबाब केंद्र शासनाकडे विचारणा करावी.



(अर्चना कुलकर्णी)

सहाय्यक परिवहन आयुक्त,  
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

भारतीय डाक



India Post

173

भारत का डाक विभाग कम्प्यूटराईय प्रणाली द्वारा प्रेषित होता है।

NOT NEGOTIABLE



डाक टिकट  
POSTAGE STAMPS


**भारतीय पोस्टल ऑर्डर  
INDIAN POSTAL ORDER**

भारत के डाक विभाग के निदेशक जी. पी. ऑफिस

PAY TO ..... को

का रकम की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

**₹ 10.00 RS.**



भारतीय आयोग का 50 पाइस

भेजक का नाम और पता यहाँ लिखें।  
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में भेजा करें।

POSTMASTER GRADE DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

13F 974969

ONAVALA PO PUNE MFL DII

LONAVAI A 4110 100

பத்தது குபாய் வதி மூலாயுலு ஐ ரு ரு

पूर्ति रकम वसूल प्राप्ती  
RECEIVED the full amount

.....  
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर PAYEE'S SIGNATURE

भारतीय डाकघर नियमों के अधीन जारी की गई है  
ISSUED SUBJECT TO THE RULES AND CONDITIONS IN THE IPO RULES.

R.S. 1 / S.P.P. HYD